न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 अपील वाद संख्या–43/2016
उमेश पोद्दार बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
29.12.2016	**आदेश** आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् विशेष लोक अभियोजक, दरभंगा को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद आवेदक उमेश पोद्दार, पिता–स्व0 रघुनन्दन पोद्दार, ग्राम–देथुआ, पो0–गनौन, थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश ज्ञापांक–342 दिनांक–14.02.2016 से आवेदक के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वह पिछड़ी जाति के अनुज्ञप्तिधारी हैं एवं नियमित रूप से खाद्यान्न का उठाव कर कार्डधारी उपभोक्ता को सरकारी निर्धारित मूल्य पर सही मात्र वो वजन के अनुरूप वितरण किया करते है एवं पूर्व से उनके विरूद्ध कोई आरोप उपभोक्ताओं को नहीं है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के मेमो नम्बर–1755 दिनांक–29.06.2015 (अनुलग्नक 5 सिरिज) इन्हें एकाएक प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से पता चला कि प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान द्वारा जाँच किया गया था एवं दिनांक–10.05.2015 को इनका दुकान बंद पाया गया एवं इनके विरूद्ध उपभोक्ताओं को सही मात्रा वो मूल्य पर खाद्यान्न वितरण नहीं करने का आरोप लगाया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आरोप के संबंध में इनसे पूछताछ नहीं किया गया एवं कारण पृच्छा की माँग की गयी। अपने कारण पृच्छा में आरोप को गलत बताते हुए दिनांक–10.05.2015 इनके समर्थन में डाक्टर के ईलाज का कागज दिया इनके स्टॉक रजिस्टर, विक्रय पंजी, कैश मेमो इत्यादि की माँग नहीं की गयी और न इनके स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार ही किया गया और अशोक यादव जिनका पूरा पता अंकित नहीं है के गलत आवेदन पर अनियमित रूप से जाँचोपरांत इनकी अनुज्ञप्ति नम्बर–16/2013 को दर्शाते हुए ज्ञापांक–342 दिनांक–16.02.2016 द्वारा रद्द कर दी गयी है, जबकि इनकी अनुज्ञप्ति संख्या–20/2013 है। अतः ज्ञापांक–342 दिनांक–16.02.2016 के आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा द्वारा ज्ञापांक–342 दिनांक–16.02.2016 में अनुज्ञप्ति संख्या–16/2013 गलत है तथा अन्य तथ्य सही है। अभिलेख पर संधारित निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका का अवलोकन किया एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों का सूसमतापूर्वक अवलोकन किया अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के ज्ञापांक–342 दिनांक–16.02.2016 में निम्न त्रुटि है :– (क) अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति संख्या–16/2013 गलत अंकित है, जबकि आवेदक का कथन है कि अनुज्ञप्ति संख्या–20/2013 है। (ख) अपीलार्थी से आरोप के बिन्दु पर उनसे वितरण से संबंधित पंजी का जाँच नहीं किया गया है। (ग) प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, घनश्यामपुर के पत्रांक–22 दिनांक–13.02.2016 के आलोक में न तो कारण पृच्छा की माँग की गयी है और न ही आवेदक द्वारा उक्त आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है, जबकि आदेश क्रमांक में पारित	

आदेश का उक्त प्रतिवेदन आधार तत्व है।

इस प्रकार वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक–342 दिनांक–16.02.2016 को निरस्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के स्पष्टीकरण के आलोक में आरोप के बिन्दु पर तुलनात्मक विवेचना करते हुए एक माह के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को अनुपालनार्थ भेजे।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। **समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।**

ज्ञापांक ________ /जिला विधि, दिनांक ________ /17

प्रतिलिपि :- आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

ह०–
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।

ज्ञापांक 64 /जिला विधि, दिनांक 11-01-17

प्रतिलिपि :- जिला विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबन्धक, एन आई सी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/01/17
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।